

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पत्रांक: सीएफओ/एन/एचएलडी/2024-25(189)

ईमेल—cfoalm.ukfs@gmail.com
जनपद नैनीताल (हल्द्वानी)
दिनांक: अप्रैल 28, 2025

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
MAPLEWOOD SCHOOL,
MADHUVAN COLONY LOHARIYASAAL
TALL HALDWANI, DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND.

विषय : अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिफ़ॉर्म नम्बर:-99519057, दिनांक: 26.04.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन MAPLEWOOD SCHOOL, MADHUVAN COLONY LOHARIYASAAL TALL HALDWANI, जनपद-नैनीताल का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन हल्द्वानी द्वारा किया गया, अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.04.2025 के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु एबीसी टाईप के 04 किग्रा के 11 अदद, सीओटू टाईप 4.5 किग्रा क्षमता के 01 अदद, होजरील 02 अदद, 10 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एवं 05 हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड टैंक स्थापित किया गया है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से भवन उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड- '0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण' के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति आख्या के आधार पर MAPLEWOOD SCHOOL, MADHUVAN COLONY LOHARIYASAAL TALL HALDWANI, जनपद-नैनीताल का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (भूतल में 08 कमरे व प्रथम तल में 08 कमरे कुल 16 कमरे हेतु) दिनांक: 28 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जायें।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सीढ़ियां व सैट बैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण(Evacuation)प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकारी से कराया जाना आवश्यक होगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन(Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।